

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
टैगोर छात्रावास, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2018/ 537,
प्रति

भोपाल, दिनांक :- 24/04/2018

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
समस्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएँ,
(बीई/एमबीए/एमसीए/फार्मसी (बी/डी)/बी.आर्क/बीएचएमसीटी/एम.ई. व एम.टेक./
एम.फार्मसी/इंटीग्रेटेड एमबीए एवं एमसीए/समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि), मध्यप्रदेश।

विषय :- सत्र 2018-19 हेतु एआईसीटीई द्वारा जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA) प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता, एनआरआई सीटों इत्यादि की जानकारी पोर्टल पर ऑन लाईन अद्यतन करने विषयक।

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा सत्र 2018-19 हेतु पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, नवीन संस्थाओं की स्वीकृति इत्यादि उपलब्ध करायी जा रही है।

ज्ञात हो कि काउंसलिंग/प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया 14 अगस्त, 2018 तक संपादित की जानी है। अतः एतद्वारा समस्त संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि आपके जी2जी लॉगिन (dte.mponline.gov.in) पर ऑनलाईन सहमति पत्र दिनांक 27 अप्रैल 2018 से उपलब्ध रहेगा। सभी प्रविष्टियां ऑनलाईन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एक दिवस पूर्व पूर्ण कर, प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर समय-सारणी अनुसार (कांफ्रेंस हॉल, टैगोर हॉस्टल, श्यामला हिल्स भोपाल) में आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संस्था के प्राचार्य/रजिस्ट्रार व नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ऑनलाईन प्रविष्टियों का सत्यापन करावें।

1. ₹ 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न बंधपत्र (शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाओं हेतु लागू नहीं)।
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा सत्र 2018-19 के लिये विद्यमान संस्थाओं हेतु जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, नवीन संस्थाओं की स्वीकृति पत्र (LOA).
3. फार्मसी पाठ्यक्रम की दशा में फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), नई दिल्ली की मान्यता संबंधी पत्र की प्रति प्रस्तुत करें अन्यथा फॉर्मसी काउंसलिंग ऑफ इण्डिया (PCI), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14-56/2007-पीसीआई-6290-7191 दिनांक 19-06-2012 के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।
4. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम की दशा में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा मान्यता दिये जाने संबंधी पत्र की प्रति।
5. सत्र 2018-19 से संस्था/पाठ्यक्रम/ब्रांच बंद करने संबंधी जानकारी।
6. नवीन पाठ्यक्रम स्वीकृति की दशा में विश्वविद्यालय की सम्बद्धता संबंधी पत्र, एएफआरसी का फीस निर्धारण संबंधी आदेश तथा संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत बंधपत्र।
7. वर्ष 2018-19 के लिये विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता अथवा विगत वर्ष की विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता के साथ-साथ वर्तमान सत्र की सम्बद्धता के लिये विश्वविद्यालय में जमा की गई फीस की रसीद।
8. संस्था का विगत तीन वर्षों का प्लेसमेंट संबंधी विवरण।

संभागवार संस्थाओं के नोडल अधिकारी निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार समस्त जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ आवंटित दिनांक को प्रातः 11:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे:-

क्र.	संभाग का नाम	दिनांक
1	उज्जैन, शहडोल एवं नर्मदापुरम (होशंगाबाद) संभाग में स्थित सभी संस्थाएँ	02 मई, 2018
2	रीवा एवं सागर संभाग में स्थित सभी संस्थाएँ	03 मई, 2018

3	जबलपुर संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के A से S हैं	04 मई, 2018
4	जबलपुर संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के T से Z हैं एवं इंदौर संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के A से G हैं	05 मई, 2018
5	इंदौर संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के H से P हैं	07 मई, 2018
6	इंदौर संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के Q से Z हैं	08 मई, 2018
7	ग्वालियर संभाग में स्थित सभी संस्थाएँ	09 मई, 2018
8	बम्बल संभाग में स्थित सभी संस्थाएँ एवं भोपाल संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के A से D हैं	10 मई, 2018
9	भोपाल संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के E से L हैं	11 मई, 2018
10	भोपाल संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के M से P हैं	14 मई, 2018
11	भोपाल संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के Q से S हैं	15 मई, 2018
12	भोपाल संभाग में स्थित संस्थाएँ जिनके नाम के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के T से Z हैं	16 मई, 2018

कृपया संस्था से उपस्थित होने वाले प्राचार्य/रजिस्ट्रार व नोडल अधिकारी संस्था की पाठ्यक्रमवार जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सुनिश्चित कर लें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा दी गई अनुमति अनुसार जानकारी अद्यतन हो गई है जिसके अनुसार संस्था में प्रवेश किये जाने हैं।

उपरोक्त ऑनलाईन भरी जानकारी की हार्ड कापी निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में संस्था/पाठ्यक्रम को काउंसलिंग में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

नोट:- 1. सर्वप्रथम संस्थायें अपने जी2जी लॉगिन में प्रथमतः संस्था से संबंधित प्रोफाइल अद्यतन अवश्य करें।




संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2018/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक :- /04/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमपीऑनलाईन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, होशंगाबाद रोड, भोपाल को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
टैगोर छात्रावास, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2018/539,

भोपाल, दिनांक : 24/04/2018

प्रति

संचालक/प्राचार्य,
समस्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थायें
मध्यप्रदेश।

विषय :- संस्थाओं के जी2जी लॉगईन पर "इंस्टीट्यूट प्रोफाइल" अद्यतन करने बाबत।

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत सत्र 2018-19 की ऑनलाईन काउंसलिंग की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ की जाना है। काउंसलिंग में भाग लेने वाली संस्थाओं द्वारा विभिन्न जानकारियाँ यथा कि संस्था का नाम, पता, ई-मेल एवं अध्यक्ष/सचिव का नाम, मोबाईल व ई-मेल इत्यादि की प्रविष्टियाँ जी2जी लॉगईन के माध्यम से पूर्व में की गई थीं।

संस्थाओं हेतु "इंस्टीट्यूट प्रोफाइल" पर उपलब्ध जानकारियाँ अपडेट करने के लिये पोर्टल दिनांक 27/04/2018 से दिनांक 10/05/2018 तक खुला रहेगा अतः समस्त संस्थायें उक्त अवधि में संस्था की आवश्यक जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करें जिससे कि आवश्यक होने पर प्रोफाइल की जानकारी का उपयोग काउंसलिंग हेतु यथा समय किया जा सके।

काउंसलिंग से संबंधित समस्त सूचनायें "इंस्टीट्यूट प्रोफाइल" पर उपलब्ध मोबाईल पर व ई-मेल पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

U

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2018/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक :- /04/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमपीऑनलाईन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, होशंगाबाद रोड, भोपाल को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

AGREEMENT

This agreement is made on this..... Day of of 2018 between the Director Technical Education, M.P. to Government of Madhya Pradesh, Technical education and Skill Development Department, Bhopal (hereinafter called the "Competent Authority") which expression shall, where the context so admits, includes his successors in office of the one part and

.....
(Name of Society) acting through secretary running the institution in the name of
(herein after called the "institution") which expression shall, where the context so admits includes his successors in office & legal representative of the other part.

Now in the presence of witnesses, it is hereby agreed between the parties here as follows:-

1. That the admission to the institution shall be made only against the number of seats fixed/approved by the All India Council for Technical Education, New Delhi (AICTE) and affiliated to the concern university and approved by the state Govt. and that, in case of private institutions the number of Seats shall not exceed the limit prescribed by the state Government.
2. That no admission shall be given to a candidate who does not fulfill the eligibility requirements as laid down by the Govt. of M.P. and notified in the "Rules for admission".
3. That the allotment of candidates to the first year of the AICTE and govt. of M.P. approved courses of Study, shall be made only by the competent Authority according to the merit/waiting lists of candidates prepared on the basis of 'Competitive tests' and/or Qualifying Exam marks as may be, as per admission rules approved by the Govt. of M.P. and/or Govt. of India.
4. That a last date for allotment of candidates shall be fixed by the Competent Authority.
5. That admission shall be made through Entrance Test (s) conducted by the agency as notified by the State/Central Government only.
6. That only the names of those students which are approved for admission by the competent authority shall be forwarded for enrolment and registration for examination to the University.
7. That the institution shall pay such amount to the Competent Authority declared by State Government for each candidate as may be prescribed by the competent Authority to cover the admission expenses.
8. That the institution will comply with the instructions as issued by the State/Central Govt./AICTE/PCA/COA and will have to produce information in support of the facts and situation, as demanded by the State Govt./Director of Technical Education M.P., Bhopal.
9. The Competent Authority has the power to conduct random and sudden inspection of institutions to ensure effective and qualitative functioning and will be mandatory on the part of the institutions

to supply the desired information within the prescribed time period failing which necessary disciplinary action shall be initiated against them.

10. Every institute shall constitute Institutional Counselling Committee (ICC) consists of :-
 - a) Director/Principal of the Institute
 - b) Nominee of College Management/Trust
 - c) Dean of the Concern Course (BE/MBA/MCA etc.)
11. ICC shall examine each documents of the student reporting for admission from his/her original documents to establish their eligibility for admission for a particular course/branch. ICC will ensure that no unauthorized / not eligible candidate is able to seek admission. Further no original documents should kept with the institution except Transfer certificate (TC) and Migration (if applicable).
12. Even though, the candidate is given admission by the institution after due verifications of his documents in counselling procedure, it is directed that while forwarding his/her examination form for appearing in examination to the university concerned, his/her documents should be once again verified to ascertain that he/she fulfills the desired condition as per the Admission Rules of course pursuing. In case, any candidate is found to be not eligible his admission should be cancelled and it should brought immediately to the knowledge of the Competent Authority and University Officials.
13. That in case of any unauthorized admission or irregularity in admission done before and during the academic session, by the institution (including wrong/misleading information, wrong verification by the institution at the time of reporting/admission):-
 - (a) The Institution shall pay to the Competent Authority a compounding fee of Rupees One lakh per candidate unauthorizedly admitted.

The amount so collected shall be credited into account, which would be operated jointly by Director of Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal and Additional Director of Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal.
 - (b) If the said sum remained unpaid by the Institution within ten days from the date of issue of the order in this regard by the Competent Authority, the said amount shall be deducted from the advance of tuition fee collected by the Competent Authority at the time of offering admission of candidates to the said institution, in the next academic session or from the amount deposited by institution to Director of Technical Education, Madhya Pradesh.
 - (c) In case unauthorized admission given by the institution for second time a further sum of Rupees One lakh per candidate shall be paid by the institution, to the Competent Authority which would be over and above the sum imposed in sub-Para (a) above.

(d) However, if unauthorized admissions are given for the third time the competent Authority shall recommend to the AICTE for the withdrawal of the approval of the institution and no admission in the following academic session shall be made.

14. The institution shall completely abide by the norms and guidelines issued by All India Council of Technical Education, New Delhi and State Government and would constantly strive to promote and deliver quality technical education to its students.
15. Any dues from the institution under this Agreement shall in case of default be recoverable from the institution as if it were an arrears of land revenue.
16. If a dispute arising out of, and/or in connection with and/or relation to this agreement or breach or termination hereof exists between the parties and the same cannot be settled within thirty (30) days by mutual discussions. Such disputes or differences shall be referred to Arbitration under the Provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Arbitration panel decision shall be final & binding on the parties.

In Witness where of the secretary of institution has here unto set his hand and D.T.E. in the Department/office of Director Technical Education, M.P. Bhopal for and on behalf of the Governor of Madhya Pradesh has here unto set his hand.

Witness (Signature, Name & Address):-

1.

Signature of Chairman of
Society of private Institution
Name & Address of Institution.

2.

Signature and designation
of Competent Authority
Director Technical Education